THE MANGALAYATAN UNIVERSITY UTTAR PRADESH

Established & Incorporated under the Mangalayatan University Uttar Pradesh Act 2006 (U.P. Act No.32 of 2006) as substituted by the Private Universities Act, 2019 (UP. Act No 12 of 2019)

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

These Statutes may be called Mangalayatan University, Uttar Pradesh - Statutes 2021.

2. **DEFINITIONS**

In these Statutes, unless the context otherwise requires:

- (a) 'Act' means the Mangalayatan University Uttar Pradesh Act 2006 (U.P. Act No.32 of 2006) as substituted by the Private Universities Act, 2019 (UP. Act No 12 of 2019);
- (b) 'Controller of Exanimation', means the person who has been put in charge to conduct the examination(s) and to declare the results of the University;
- (c) HOI Means head of Institute/School/Centre/Department;

3. OBJECTS

In addition to object of the University as provided under the Act, the University shall have following objects and powers:

- (a) To run various Academic Programmes including Open and Distance Learning (ODL), Online mode and e-Learning mode etc.
- (b) To establish, develop and maintain Academic Departments/Centres/Schools,Centres of Excellence and different Directorates;
- (c) To develop and maintain relationship with leading Academic and other Institutions in India and Abroad for education, Training, Research and Distance Learning Programmes;
- (d) To make twinning arrangements and exchange programmes with leading educational institution in other countries for collaborative education programmes;
- To recognize the academic outcome and/or qualification/distinction by any academic institution and to confer degree, diploma, Certificate and other distinction on the basis thereof;
- (f) To provide and accept equivalency and credit in relation to any academic programme and qualification of any other Institution/University;
- (g) To confer Degrees, Diplomas and other Academic Distinctions on the basis of examination, evaluation or any other method of testing as approved by the Academic Council.
- (h) To develop linkages with the industry, Institutions and other organizations.

1

Mangalayatan University

Beswan, Aligarh

- (b) The Examination Committee shall be responsible for devising the process and all other aspects of Examinations in accordance with Calendar of the University.
- (c) The procedure of functioning of Examination Committee shall be as provided in the regulations of the University.
- (d) A written notice of every meeting shall be sent by the Controller of Examinations to every member at least two weeks before the date of the meeting; Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Examination Committee at short notice to consider urgent matters.
- (e) Agenda shall be circulated by the Registrar to the members at least one week before the meeting.
- (f) The power and other functions of the Examination Committee shall be specified in the Ordinances/Regulations.
- (g) Quorum of the meeting of the Examination Committee shall not be less than fifty percent (50%) of members.

K. Other Authorities of the University

- (i) In exercise of powers conferred under Section 23 (10) of the Act, following are declared as to be Authorities of the University:-
 - (a) University Research Council (URC)
 - (b) Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
 - (c) Internal Complaint Committee (ICC)
 - (d) Research Planning and Monitoring Committee (RP&MC)
 - (e) Directorate of Distance and Online Education
 - (f) Skill & Vocational Development Council (SVDC)
- (ii) The constitution, powers and functions of other authorities declared in these Statutesas may be prescribed in the Ordinances and Regulations of the University.

5. OFFICERS OF THE UNIVERSITY

- (1) The Chancellor
- (2) The Pro Chancellor
- (3) The Vice Chancellor
- (4) The Pro Vice Chancellor(s)
- (5) The Registrar
- (6) The Dean of Faculty
- (7) The Dean of Student's Welfare
- (8) The Director(s)
- (9) The Controller of Examination
- (10) The Proctor
- (11) The Finance Officer
- (12) The Head of the Department

(1) THE CHANCELLOR

Appointment, Powers and Functions of Chancellor

12

Registrary Manga ayatan University Beswan, Aligarh



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-18 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019

श्रावण 15, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 1451/79-वि-1—19-1(क)11-19 लखनऊ, 6 अगस्त, 2019

> अधिसूचना विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा प्रारित हुआ]

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा संक्षिप नाम. जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक की प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

Mangalayatan University Beswan, Aligarh

(7) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि अधिनियम और तदधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाय।

18-(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और अध्यादेशों और विनियमों में उपबंधित किया

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन-प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा कि प्रायोजक निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

19—(1) कुलसचिव की अर्हताएं, पदावधि, सेवा शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(2) कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से अमिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा। वह शासी निकाय, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह समस्त ऐसी सूचना इन अधिकारियों के समक्ष रखने के लिये बाध्य होगा जो उनके संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा यथा विहित कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा किन्तु उसे इस उपधारा के आधार पर मत देने का हक नहीं होगा।

20-प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

21-(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी वित्त अधिकारी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

22-छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

23-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:'-

विश्वविद्यालय के

- शासी निकाय;
- (2) कार्यपरिषदः
- (3) विद्या परिषद्
- (4) वित्त समिति,
- (5) नियोजन बोर्ड:
- (6) संकाय बोर्ड,
- (7) अध्ययन बोर्ड.
- (8) प्रवेश समिति
- (9) परीक्षा समिति, और

(10) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के

प्राधिकरण घोषित किये जायं।

Beswan, Aligarh

191_RPH_Data 4 Vidhaika Folder (Adhiniyam_2019)

कत्यमनिव